उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

200 वसन्त विहार, फेज–।।, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेल : ceoukcampa@gmail.com

पत्रांक– 312 /कार्य0स0-iv बैठक/2010–11 दिनांक, देहरादून, 05 मार्च, 2011

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड तथा सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. स्वाति ग्रामोद्योग, धारचूला रोड़, पिथौरागढ़, सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. पर्यावरण जन–जन जागृति समिति (पराज), नौगांव बाजार, उत्तरकाशी, सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषयः– **उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाईटी की कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।**

सन्दर्भः– **इस कार्यालय का पत्रांक 278/कार्य0स0–ivबैठक/2010–11 दिनांकः 14 फरवरी 2011, एवं पत्रांक 296/कार्य0स0–iv बैठक/2010–11 दिनांक 21 फरवरी 2011**

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 26.02.2011 को मंथन सभागार, देहरादून में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर आपकी सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

05/03/2011

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा,
देहरादून।

Wahi/CAMPA-Mar2011

पत्रांक 312 (1)/कार्य0स0-iv बैठक /2010–11 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– संलग्नक सहित निम्नांकित को प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

संलग्नकः– यथोपरि।

05/03/2011

विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा,
देहरादून।

पत्रांक 312 (2)/ कार्य0स0-iv बैठक /2010–11 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– संलग्नक सहित निम्नांकित को अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य शासी निकाय व अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य शासी निकाय व उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य–शासी निकाय व संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नकः– यथोपरि।

05/03/2011

विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा,
देहरादून।

दिनांक 26.02.2011 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में डा॰ आर॰बी॰एस॰ रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त तथा उपस्थिति का विवरणः–

समिति के सदस्यगणः–

1. **डा॰ आर॰बी॰ एस॰ रावत**, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति
2. **श्री एस॰एस॰ शर्मा**, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति,
3. **डा॰ श्रीकान्त चन्दोला**, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति,
4. **श्री राजेन्द्र कुमार**, नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति,
5. **श्री एम॰एस॰ बिष्ट**, प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
6. **श्री बी॰एस॰ धामी**, (प्रतिनिधि), स्वाति ग्रामोद्योग समिति, पिथौरागढ़, सदस्य कार्यकारी समिति।
7. **श्री जगत सिंह चौहान**, (प्रतिनिधि), पर्यावरण राग जन–जन जागृति समिति (पराज), उत्तरकाशी, सदस्य–कार्यकारी समिति।
8. **श्री विजय कुमार**, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विशेष आमंत्रीः–

1. **श्री एस॰सी॰ पंत**, मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊ), उत्तराखण्ड
2. **श्री डी॰वी॰एस॰ खाती**, मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड
3. **श्री मोनीश मल्लिक**, मुख्य वन संरक्षक, आजीविका एवं एन॰टी॰एफ॰पी॰, उत्तराखण्ड
4. **श्रीमती रंजना काला**, मुख्य वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार, उत्तराखण्ड
5. **श्री परम जीत सिंह**, मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, प्रशासन एवं इंटैलिजेन्स, नैनीताल, कैम्प–चन्द्रबनी, देहरादून।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यो का स्वागत करते हुये कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) की चतुर्थ बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या –4.1: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 08.10.2010 को सम्पन्न हुई तृतीय कार्यकारी समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा संज्ञान लेते हुए अवशेष अनुपालन पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या –4.2: वर्ष 2010–11 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना (APO) के क्रियान्वयन की प्रगति के विवरण को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा MIS से प्राप्त रिपोर्ट सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्तुतीकरण पर चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निम्नांकित अनुसार निर्णय लिए गयेः–

1. MIS में उपलब्ध विवरण के अनुसार NPV की तालिका 1.b की कार्यमद 1.b.1.2 Management of invasive species (Lantana, Parthenium etc.) & replacement by suitable spe. (Bamboo, Napier grass etc.) में रूपये 2.75 करोड़ लैन्टाना हेतु नियोजन किया गया है तथा वर्तमान तक रूपये 2.06 करोड़ व्यय किया गया है, जिसमें अकेले शिवालिक वृत्त ने रूपये 0.84 करोड़ व्यय किये है। इस पर अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा

निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को Cross Check करने की आवश्यकता है। तद्नुसार उक्त कार्य की समीक्षा सम्बन्धित स्तरों (मण्डल/जोन) से की जानी आवश्यक है।

2. NPV की तालिका 1.d वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्तीय प्रगति के विवरण तथा प्रभाग स्तर पर MIS में भरे गये विवरण से प्राप्त रिपोर्ट में अत्याधिक भिन्नता पाई गई। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि– (i) धनराशि को प्रभाग के लिए अथवा प्रभाग से वन पंचायत के लिए अवमुक्त किये जाने को उपयोग नहीं माना जा सकता है, अर्थात् धनराशि का कार्यो के सापेक्ष व्यय किये जाने को धनराशि का उपयोग माना जाये। (ii) वन पंचायतों के स्तर पर नई नर्सरीयॉ न बनवाई जाये क्योंकि पूर्व में विभाग स्तर से बनवाई गई महिला किसान पौधा शालाओं में पर्याप्त पौध उपलब्ध है, उसी पौध को वन पंचायतो में पौध रोपण कार्यो में उपयोग में लाया जाये। (iii) एक प्रपत्र बनाकर उसमें पौधालयों का विवरण उसमें उपलब्ध पौध के साईज तथा प्रभाग स्तर पर पौध की आवश्यकता एवं उपलब्धता का विवरण मंगाकर संकलित किया जाये, जिससे कि अन्य एजेन्सीयों से पौध की मांग की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकें एवं विभाग में पौध की उपलब्धता न होने पर अन्य एजेन्सीयों से तद्नुसार पौध की आपूर्ति विभाग हेतु प्राप्त की जा सकें।

(कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ)

3. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS से Division स्तर से भौतिक व वित्तीय प्रगति की प्रविष्टि को वास्तविक प्रगति माना जाय एवं उसकी समयबद्ध प्रविष्टि भी सुनिश्चित कराई जाये। MIS से सृजित Hard Copy को तद्नुसार अभिलेखों में रखते हुए विश्लेषण हेतु प्रयोग में लाया जाये। ।

(कार्यवाही : समस्त–प्रमुख वन संरक्षक, अपर प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक/निदेशक, प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक, उत्तराखण्ड)

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या–4.3:</u> उत्तराखण्ड कैम्पा में प्राप्त निधि एवं अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 के सापेक्ष अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रूपये 43.58 करोड़ अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष लगभग 44 प्रतिशत धनराशि व्यय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि धनराशि बहुत धीमी गति से व्यय की जा रही है। अतः जो कार्य धरातल पर जिस माह में प्रारम्भ हो चुके है, उस माह में उन्हीं कार्यो के सापेक्ष धनराशि की मांग की जाये, जिससें कि धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग उस माह के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जा सकें, इससे धनराशि पर अर्जित होने वाले ब्याज का लाभ भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ)

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या–4.4:</u> मुख्य स्तरों से प्राप्त संशोधित वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2010–11 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। NPV मद में संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 का आकार अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 से अधिक होने पर वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय को संज्ञान में लेकर समिति द्वारा चर्चा की गई एवं निम्नांनुसार निर्णय लिये गयेः– (i) मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल द्वारा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि इस वित्तीय वर्ष 2010–11 में अब मात्र एक माह शेष है, अतः CAT Plans पर अगले

वित्तीय वर्ष 2011–12 में कार्य प्रारम्भ किया जाना उचित रहेगा तथा उनके स्तर हेतु CAT Plans के लिए अवमुक्त की गई धनराशि रूपये 310.00 लाख का इस वित्तीय वर्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अग्रिम मृदा कार्यो एवं अन्य मदों के कार्यो को पूर्ण करने मे उपयोग किया जायेगा। उक्त के संबन्ध में संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 का लिखित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) के द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई। (ii) माह मार्च 2011 तक वास्तविक रूप से किये जाने वाले कार्यो एवं प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के आधार पर वर्ष 2010–11 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण करने हेतु समिति द्वारा सुझाव दिया गया।

उपरोक्तानुसार **प्रभागवार स्थलविशेष के विवरण सहित** प्राप्त संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 को अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को अधिकृत किया गया एवं तद्नुसार अनुमोदन के उपरान्त उक्त कार्ययोजना को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सभी संबंधित से एक सप्ताह के अन्तर्गत उक्त संशोधित कार्ययोजना 2010–11 के प्रस्ताव उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ, मुख्य वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार तथा मुख्य वन संरक्षक, एन.टी.एफ.पी.)

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या–4.5</u>: प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2011–12 पर चर्चा हुई एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माह मार्च 2011 तक वास्तविक रूप में किये जा सकने वाले कार्यो एवं प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के आधार पर वर्ष 2010–11 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण करने के उपरान्त वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष धनराशि को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध धनराशि में जोड़ते हुऐ वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव बनाया जाय।

उपरोक्तानुसार **प्रभागवार स्थलविशेष के विवरण सहित** प्राप्त प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 को अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को अधिकृत किया गया एवं तद्नुसार अनुमोदन के उपरान्त उक्त कार्ययोजना को संचालन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सभी संबन्धित से तद्नुसार 2011–12 की प्रस्तावित कार्ययोजना के प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ, मुख्य वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार तथा मुख्य वन संरक्षक, एन.टी.एफ.पी.)

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या–4.6</u>: अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना APO 2010-11 के सापेक्ष किये गये कार्यो की वित्तीय स्वीकृतियॉ कार्यकारी समिति के स्तर से निर्गत किये जाने हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाईटी के **संगम अनुच्छेद के बिन्दु संख्या–28 "वित्तीय स्वीकृति"** पर चर्चा हुई एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि जोनल स्तर से स्वीकृति वार Abstract उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय में कई अनुस्मारक के बाद भी प्राप्त नहीं हुए है, केवल वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की प्रति प्राप्त हो रही है।

इस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वीकृतियों के सारांश (Abstract) को प्राप्त करने हेतु प्रपत्र निर्धारित किया जाय, उक्त प्रपत्र में जोन/मुख्य स्तरों से स्वीकृतियों के सारांश (Abstract) को अविलम्ब उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाये, इस प्रकार प्राप्त Abstract को कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या–4.7</u>: APO Heads Template व कतिपय मदों की इकाई दरों के सम्बन्ध में समिति के द्वारा चर्चा की गई एवं निम्नांनुसार निर्णय लिये गयेः–

1. उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना की घटकवार कार्यमदों के प्रारूप (Template) को निम्नांकित सुझावों के साथ अनुमोदित किया गयाः–

a) APO heads के Template में हरित विकास योजना तथा जड़ी–बूटी विकास योजना की कार्य मदों को एक सप्ताह के अन्तर्गत जोनल स्तर के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाये एवं तद्नुसार कार्य मदों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर पर Template में शामिल करने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

b) Template में NPV तालिका 1.c में इन्टीग्रेटेड डेमोस्ट्रेटिव मॉडल प्लान्टेशन में प्लान्टेशन शब्द को हटाये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही –मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

c) Bio-Engineering works को NPV तालिका 1.c Soil and Water Conservation की कार्य मदों में यथोचित स्थान पर जोड़ा जाये।

(कार्यवाही –मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

2. समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इन्टीग्रेटेड डेमोस्ट्रेटिव मॉडल आदि की अनुसूचित इकाई दरों का निर्धारण अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति के द्वारा अनुसूचित इकाई दरों के निर्धारण किये जाने तक कार्यकारी समिति द्वारा कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना के निरूपण के लिए उक्त मॉडल में अग्रिम मृदा कार्य हेतु रूपये 30,000 प्रति हैक्टेअर तथा रोपण कार्य हेतु रूपये 20,000 प्रति हैक्टेअर की दरें नियोजन के उद्देश्य से निर्धारित की गई। उक्त मॉडल में अनुरक्षण (Maintenance) की दरों के निर्धारण पर चर्चा नहीं हुई।

{कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, अपर प्रमुख वन संरक्षक, (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन) मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ}

3. उत्तराखण्ड कैम्पा की मदों/उपमदों की इकाई दरों पर चर्चा हुई एवं समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन मदों/उपमदो की नियोजन हेतु इकाई दरों एवं वृत्तों की अनुसूचित दरों में अधिक भिन्नता है, उनके सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सभी मदों/उपमदों की नियोजन हेतु इकाई दरों एवं अनुसूचित दरों का वास्तविक निर्धारण (Specification सहित) प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही –अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

एजेण्डा बिन्दु संख्या –4.8:– अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर निम्नांकित बिन्दुओं पर समिति द्वारा चर्चा की गई:–

4.8.1 वन पंचायतों हेतु Eco-Service Delivery के मॉडल की निम्नांकित कार्यमदों को कैम्पा की NPV की तालिका 1.d की कार्यमदों में जोड़ने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई:–

1.d.14	**Eco-Service Delivery Centre**
1.d.14.1	Database and Applied Study
1.d.14.2	Infrastructure Development Assistance with respect to IGA
1.d.14.3	Capacity Building of ESDC Staff
1.d.14.4	Livelihoods Activity Support (Eco Tourism, MAP, Bamboo, Ringal etc.)
1.d.14.5	Technology Intervention & Application
1.d.14.6	IEC Material
1.d.14.7	Value Addition & Forest Products Marketing Systems
1.d.14.8	Operational Expenses

10 से 12 वन पंचायतों के समूह के आधार पर एक Eco-Service Delivery and Common Facility Centre की स्थापना के मॉडल के रूप में वित्तीय वर्ष 2011–12 में 100 मॉडल सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु एवं सेन्टर की स्थापना में Infrastructure Support के लिए Seed Money के रूप में रूपये 1.00 लाख (रूपये एक लाख) प्रति सेन्टर दिया जाने हेतु NPV की तालिका 1.d के अन्तर्गत धनराशि रूपये 100.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 में किये जाने हेतु समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

उक्त मॉडल सेन्टर के प्लेटफार्म पर रेखा विभागों की Best Practices का Convergance होना प्रस्तावित है। स्थानीय युवा रोजगार/स्वरोजगार एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ें, इस हेतु समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्लेटफार्म पर सम्बन्धित रेखा विभागों द्वारा स्थानीय युवकों हेतु नियोजित Vocational Training का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड)

4.8.2 वन विभाग के आधुनिकीकरण के क्रम में विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य प्रभावी संचार व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से सभी कार्मिकों (लगभग 8000) को BSNL/Other Telecom Services के आम उपयोग समूह सुविधाऐं (Common User Group Facilities) का प्लान लेने के क्रम में BSNL के द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा हुई एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि BSNL द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर एक बार नेगोशियेशन किया जाये तथा कार्यरत सभी फील्ड कर्मियों एवं

अधिकारियों के लिए Common User Group Plan क्रय कर लिया जाये तथा इसका व्यय वहन **1% Operational expenses** (Tour, Communication, data entry, Stationary etc.) के अन्तर्गत किये जाने हेतु समिति द्वारा सुझाव दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी स्तर व वरिष्ठ अधिकारियों हेतु औसत रूपये 500/– अधिकतम मासिक भुगतान कैम्पा निधि से करने की सहमति हुई।

उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर होने वाले व्यय को प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 में समावेश कर अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को अधिकृत किया गया एवं तद्नुसार अनुमोदन के उपरान्त उक्त कार्ययोजना को संचालन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाही –मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

4.8.3 माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की निम्नांकित घोषणाओं पर उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में समिति के द्वारा चर्चा की गई:–

क्र.स.	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण	सम्बन्धित स्तर (जोन)
1	245/2010	बलभद्र स्मारक स्थल एवं खलंगा किले के आस–पास के क्षेत्र में ईको–टूरिज्म पार्क के विकास हेतु कैम्पा से रूपये 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
2	259/2010	तिजम में झील के निर्माण की कैम्पा योजना से स्वीकृति दी जायेगी	मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
3	268/2010	रई एवं कुण्ठ झील का निर्माण कार्य कैम्पा के द्वारा कराया जायेगा	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि घोषणा स्थल की भूमि के स्वामित्व एवं भूमि उपयोग की जानकारी प्राप्त करते हुये नियमानुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2011–12 में प्राविधान किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही –मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ एवं मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल)

4.8.4 **वित्तीय स्वीकृति**:–उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाईटी के संगम अनुच्छेद बिन्दु संख्या–28 वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निम्नांनुसार कार्यकारी समिति द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई:–

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्रांक 2406/2–34 दिनांक 21 फरवरी 2011 तथा पत्रांक 2407/2–24 दिनांक 21 फरवरी 2011 के द्वारा क्रमशः सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण्य में आवासीय भवन का निर्माण कार्य रूपये 5.51 लाख तथा इसी प्रभाग के जोगेश्वर रेंज नौरा कम्पार्टमेन्ट संख्या–5 में फोरेस्ट गार्ड चौकी का निर्माण कार्य रूपये 5.51 लाख की वित्तीय स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई।

2. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित वाहन क्रय के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के कार्यालय आदेश संख्या–क–1625/5–3(मोटर गाड़ी) दिनांक 20.01.11 के द्वारा गठित विभागीय वाहन क्रय समिति द्वारा समस्त क्रय प्रक्रिया की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये 04 वाहन (चार पहिया) जिसमें 02 बोलैरा, 01 स्कॉरपियो, 01 एम्बेसैडर व 25 हीरो हौंडा कम्पनी की मोटर साईकिल तथा उक्त वाहनों को DGS&D दरों पर क्रय करने के फलस्वरूप यदि बचत हो तो DGS&D दर पर एक अतिरिक्त कैम्पर वाहन क्रय करने हेतु संस्तुति प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा चर्चा की गई।

3. समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि अम्बेसेडर कार पर POL का खर्चा अधिक आता है, अतः इसके स्थान पर **मारूति की SX4** को क्रय करने हेतु कार्यवही की जाये।

उपरोक्त के क्रम में वित्त नियन्त्रक एवं सदस्य, कार्यकारी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–136/प्र0सं0/राजस्व/2009 दिनांक 03 मार्च 2009 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन उपरान्त ही वाहन क्रय किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में समिति के सदस्यगणों के द्वारा चर्चा की गई कि उत्तराखण्ड कैम्पा की नियमावली उक्त शासनादेश के बाद राज्य सरकार द्वारा निर्गत की गई है, सरकार से प्राप्त नियमावली के अन्तर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा सोसाईटी के रूप में पंजीकृत है। उत्तराखण्ड कैम्पा की **नियमावली (संगम अनुच्छेद) के बिन्दु संख्या–28 वित्तीय स्वीकृति के अनुसार "प्राधिकरण की निधि से कार्यान्वयन अभिकरण स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न कार्यो की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा दी जायेगी।"** इस क्रम में कार्यकारी समिति द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को उनके स्तर पर यथोचित निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारीसमिति, उत्तराखण्ड कैम्पा व अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड)

4.8.5 असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मुख्य वन संरक्षक, आजीविका एवं एन॰टी॰एफ॰पी॰, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत आलेख पर चर्चा हुई, उक्त आलेख का वित्त नियन्त्रक (वन विभाग) एवं सदस्य कार्यकारी समिति तथा मुख्य वन संरक्षक, आजीविका एवं एन॰टी॰एफ॰पी॰, उत्तराखण्ड के स्तर पर परीक्षण किये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिया गया। परीक्षण उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने हेतु समिति द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही –मुख्य वन संरक्षक, आजीविका एवं एन॰टी॰एफ॰पी॰, उत्तराखण्ड तथा वित्त नियंन्त्रक, वन विभाग)

4.8.6 वित्तीय वर्ष 2010–11 में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कैम्पा फण्ड से धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः नि॰1150/3–3(1) दिनांक 18.02.2011 के द्वारा चिकित्सा मद के अन्तर्गत मांग में वृद्धि एवं शासन से मिल रहे बजट में कमी को देखते हुए मेजर सर्जरी के ऐसे मामलों (जैसे–कैंसर, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे की बड़ी शल्य चिकित्सा आदि) जहां एकमुश्त बड़ी धनराशि की आकस्मिक रूप से आवश्यकता होती है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2010–11 में रूपये 76.26 लाख की मांग एवं इसकी प्रतिपूर्ति कैम्पा के वैलफेयर

फण्ड से करने के सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया। उक्त पर चर्चा उपरान्त इस धनराशि (रूपये 76.26 लाख) का प्राविधान पूर्व में Benevolent Fund (1.e.2.10 Corpus Fund for Forest Employee/workers (benevolent fund) through Forest Welfare Board) में प्राविधानित धनराशि के अलावा प्राविधान किए जाने की समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त आगामी वर्षो में भी तद्नुसार आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक वर्ष प्राविधान रखा जाये।

(कार्यवाही –मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

4.8.7 श्री जयप्रकाश दुबे के अनुभवों का उपयोग कैम्पा में समन्वयक/एडवाईजर के रूप में किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 के पत्र संख्या 592/x-2-2011-7(6)/2004 टी.सी. दिनांक 15.02.2011, जिस पर कि मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा श्री दुबे के अनुभव के आधार पर उनकी सेवाओं का सुदपयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड से किया गया है, को समस्त संलग्नकों सहित समिति के सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त पर समिति के सदस्यगणों द्वारा चर्चा के उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा के लिए निर्धारित भारत सरकार की गाईड लाईन्स तथा तद्क्रम में शासनादेश संख्या 75/X-2-201-7(6)/2004 T.C. दिनांक 31 अगस्त 2010 द्वारा गठित उत्तराखण्ड कैम्पा की सोसाईटी में वर्णित प्राविधानों के आलोक में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर पर परीक्षण एवं अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिये गये।

(कार्यवाही –प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुये धन्यवाद सहित बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा

4.3.2011
(डा.आर.बी.एस. रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा